

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)



क्र. 830 / एम.आई.सी. सचिव / न.पा.नि. / 2018
प्रति,

रायगढ़, दिनांक 28/02/18


संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नया मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर परिषद की बैठक दिनांक 20/02/2018 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर परिषद की बैठक दिनांक 20/02/2018 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. 830 / एम.आई.सी.सचिव / न.पा.नि. / 2018
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक 28/02/18

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. एम.आई.सी. प्रभारी श्री/श्रीमती/सुश्री की ओर सूचनार्थ।
7. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाइट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
8. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)


कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)


मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 20.02.2018 दिन मंगलवार समय 12:00 बजे

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय																				
1	<p>छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 5-33/2017/18 नया रायपुर दिनांक 28.08.2017 प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता शाखा नगर पालिक निगम रायगढ़ में प्लेसमेंट पर स्वच्छता श्रमिकों की अधिकतम संख्या निम्नानुसार पुनर्निर्धारित किया गया है :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">क्र.</th> <th style="width: 15%;">नगरीय निकाय का नाम</th> <th style="width: 20%;">स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग</th> <th style="width: 20%;">प्लेसमेंट पर स्वच्छता श्रमिकों की कुल अधिकतम संख्या</th> <th style="width: 20%;">कटौती उपरांत प्लेसमेंट में अधिकतम सफाई कामगारों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">रायगढ़</td> <td style="text-align: center;">श्रमिक (सफाई)</td> <td style="text-align: center;">204</td> <td style="text-align: center;">194</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">श्रमिक (वाहन)</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">कुल योग :-</td> <td style="text-align: center;">300</td> <td style="text-align: center;">194</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">उपरोक्तानुसार प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।</p>	क्र.	नगरीय निकाय का नाम	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग	प्लेसमेंट पर स्वच्छता श्रमिकों की कुल अधिकतम संख्या	कटौती उपरांत प्लेसमेंट में अधिकतम सफाई कामगारों की संख्या	1	रायगढ़	श्रमिक (सफाई)	204	194			श्रमिक (वाहन)	96	0		कुल योग :-		300	194	<p>प्रकरण प्रस्तुत हुआ। रायगढ़ नगर निगम में शासन के पत्र अनुसार वर्तमान में स्वच्छता शाखा के लिए सफाई श्रमिक 204 की जगह 194 एवं श्रमिक (वाहन) 96 को कटौती कर 0 किया गया है। पूर्व में नगरीय क्षेत्र में प्लेसमेंट में पूर्व सेट अप दिनांक 17.12.2015 अनुसार 204 सफाई श्रमिक + 96 रिक्शा चालक + 20 सफाई दरोगा कुल 320 पद की स्वीकृति थी। 96 (वाहन) श्रमिकों से वार्ड में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के साथ-साथ नाली एवं सड़कों की सफाई का कार्य भी लिया जा रहा था। रायगढ़ शहर में नाली एवं नालियों की संख्या ज्यादा होने एवं संजय काम्प्लेक्स, इतवारी बाजार, बस स्टैण्ड आदि में कचरा की मात्रा अधिक होने के कारण 96 (वाहन) श्रमिकों को यथावत् रखा जाना जनहित में आवश्यक है। अतः 96 (वाहन) श्रमिक की स्वीकृति सफाई श्रमिक के रूप में प्रदान करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।</p>
क्र.	नगरीय निकाय का नाम	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग	प्लेसमेंट पर स्वच्छता श्रमिकों की कुल अधिकतम संख्या	कटौती उपरांत प्लेसमेंट में अधिकतम सफाई कामगारों की संख्या																		
1	रायगढ़	श्रमिक (सफाई)	204	194																		
		श्रमिक (वाहन)	96	0																		
	कुल योग :-		300	194																		
2	<p>मेयर इन कौंसिल की बैठक दिनांक 14.12.2017 के प्रस्ताव क्र. 03 में कांजी हाउस संचालन के संबंध में चतुर्थ आमंत्रण सूचना क्रमांक 2049/रा.वि./न.पा.नि./2017 रायगढ़, दिनांक 16.11.2017 के द्वारा ऑफर दर मंगाई गई थी, जिसमें श्री आनंद सिंह पिता अलील सिंह निवासी बंगला पारा रायगढ़ द्वारा नगर निगम द्वारा निर्धारित कांजी हाउस संचालन के नियम शर्तों के तहत संचालन हेतु प्राप्त हुआ है। विभाग द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। तदनुसार प्रकरण में विचार व निर्णय हेतु प्रस्तुत है।</p> <p>एम.आई.सी. बैठक दिनांक 14.12.2017 का निर्णय :- आमंत्रण सूचना का पेपर कटिंग के साथ अगली बैठक में रखे।</p> <p style="text-align: center;">तदनुसार प्रकरण पुनः प्रस्तुत है।</p>	<p>कार्यालयीन प्रतिवेदन अनुसार कांजीहाउस संचालन हेतु श्री आनंद सिंह पिता अलील सिंह निवासी बंगला पारा रायगढ़ को स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p>																				

(Handwritten Signature)

3	श्री रुस्तम अली सिद्दकी सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक को सहायक ग्रेड-03 के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।	प्रकरण प्रस्तुत हुआ। वर्तमान में सहायक ग्रेड-03 का पद रिक्त है, उक्त रिक्त पद पर श्री रुस्तम अली सिद्दकी सेवानिवृत्त राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा कार्य करने की सहमति दी है। तदनुसार श्री रुस्तम अली सिद्दकी की संविदा नियुक्ति सहायक ग्रेड 03 के पद पर किये जाने हेतु अनुशंसा की जाती है। प्रस्ताव, राज्य शासन को अनुमोदन हेतु भेजा जावे।
---	--	--


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)


महापौर
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)